राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा–1/झुन्झुनू/2014पार्ट जयपुर, दिनांक 13-06-2016

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस–पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक–पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए है :–

i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों की शैक्षिणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015–16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

झुन्झनूं जिले के वर्तमान में संचालित कक्षा 6 से 10, 6 से 12 तथा 9 से 12 के विद्यालयों को कक्षा 1 से 10/12 के विद्यालय में परिवर्तित करने के लिये कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित विद्यालय में कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित विद्यालय को **समन्वित** करते हुए कक्षा 1 से 10/12 तक के समन्वित (एकीकृत) विद्यालय गठित करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

जिला–झुन्झुनू

क. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन

क्र0स0	पंचायत समिति/नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम/वार्ड नं.	राउमावि/मावि (एकीकृत)	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	उदयपुरवाटी	गुढागोडजी	गुढागोडजी	राउमावि गुढागोडजी	राप्रावि गुढागोडजी
2	नवलगढ	जाखल	जाखल	राउमावि जाखल	1. राप्रावि जाखल
3	चिडावा	अलीपुर	अलीपुर	राउमावि अलीपुर	राप्रावि स्वामी मोहल्ला अलीपुर
4	झुन्झूनू	भैडों की ढाणी	भैडों की ढाणी	राउमावि पुरोहितों की ढाणी	1. राप्रावि भैडों की ढाणी 2. राप्रावि भीलों की ढाणी
5	चिडावा	नगरपालिका	4	राजकला राबाउमावि चिडावा	राबाउप्रावि वार्ड नं. 1 चिडावा
6	खेतडी	नगरपालिका	16	जयसिंह राउमावि खेतडी	राप्रावि माजी का बाग वार्ड नं. 18 खेतडी
7	सूरजगढ	नगरपालिका	13	राबाउमावि सूरजगढ	राबाउप्रावि सूरजगढ
8	झुन्झुनू	नगरपालिका	18	श्रीमती नानीबाई जयपुरिया राबाउमावि मण्डावा	नानी बाई जयपुरिया राबाउप्रावि मण्डावा
9	झुन्झुनू	नगरपालिका	21	श.क.जे.पी. जानू राउमावि झुन्झुनू	राउप्रावि रैगरपुरा
10	चिडावा	नगरपालिका	23	रामावि अडुकिया चिडावा	राउप्रावि अडुकिया

उपरोक्तानुसार एकीकृत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार होगाः–

i. समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित(एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।

ii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।

iii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक